

बांग्लादेश में भारतीय वशेष आर्थिक क्षेत्र नरिमाण में उत्पन्न अवरोध

संदर्भ

भारत द्वारा बांग्लादेश के तीन स्थानों पर वशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone - SEZ) स्थापति करने की परयोजना को वर्तमान में गंभीर अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में बांग्लादेश में भारत के लयि तय इन स्थानों पर मूलभूत बुनयिदी सुवधिएँ, जैसे नरिबाध रूप से वदियुत आपूरतिका न होना, इन स्थानों की वाणजियकि रूप से वहनीयता को प्रभावति करती हैं।

मुख्य बदि

- ये तीन वशेष आर्थिक क्षेत्र- मोंगला, बहरामारा एवं मरिसराय में प्रस्तावति हैं। इनसे मोंगला भारतीय सीमा पोस्ट, पेट्रापोले-बेनापोले एकीकृत चेक पोस्ट के नज़दीक अवस्थति है।
- बांग्लादेश एवं भारत के मध्य यह समझौता जून 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री की बांग्लादेशी यात्रा के समय हुआ था।
- इन तीनों एस.ई.जेड. की व्यवस्था भारत के द्वारा सुवधिपूर्ण लाइन ऑफ क्रेडिट (concessional Line of Credit) के तहत बांग्लादेश को दी जाएगी।
- एस.ई.जेड. में नविश को आकर्षति करने के लयि बांग्लादेश ने आयकर, वैट, सीमा शुल्क और स्टांप ड्यूटी में छूट के साथ एफ.डी.आई. पर सीमा शुल्क को खत्तम करने व कार्य परमटि आदिविशेष सुवधिएँ देने की बात की थी।

भारत की मांग क्या है?

- भारत की मुख्य मांग बुनयिदी सुवधियों की है, जसिसे ये स्थान उद्योग की अवस्थापना हेतु उपयुक्त बन पाएँ।
- भारतीय पक्ष का यह भी कहना है कउसे कोई वैकल्पकि स्थान दलिवाया जाए जो चटगाँव पोर्ट के आसपास हो, जैसे बांग्लादेश की तरफ से चीन को बनाने के लयि दए गए एस.ई.जेड. इसी पत्तन के आसपास हैं।

नषिकर्ष

भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से कंपनयियों को संयम बरतने की सलाह देते हुए यह आशवाशन दयिा है कजून के अंत तक इस वषिय को बांग्लादेश सरकार के समक्ष रखा जाएगा। इसके अतरिकित, भारत बांग्लादेश को 5000 मेगावाट बजिली देने पर भी वचिार कर रहा है, जसिमें भारत-बांग्लादेश की संयुक्त उद्यम वाली 'रामपाल बजिली परयोजना' की 1200 मेगावाट बजिली भी शामिल होगी।